

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत राशनकार्ड आवेदन/सत्यापन प्रपत्र (नगरीय)

प्रारूप-1 (बी)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की धारा-13(1) के अनुसार प्रत्येक पात्र गृहस्थी में, वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की न हो, राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी एवं धारा-1(2) के अनुसार जहाँ किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री या 18 वर्ष से उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किन्तु 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है, वहाँ गृहस्थी का वरिष्ठ पुरुष सदस्य राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशनकार्डों के लिए, ऐसे पुरुष सदस्य के स्थान पर, गृहस्थी की मुखिया बन जायेगी।

**मुखिया
का
फोटो**

भाग-एक

भाग-क

1. गृहस्थी की महिला मुखिया का नाम (हिन्दी में) (उपरोक्त दिए गए प्रावधान के अनुसार)	श्रीमती/कु0/श्री			2. गृहस्थी के मुखिया का नाम (अंग्रेजी में) (उपरोक्त दिए गए प्रावधान के अनुसार)	Smt/Km/Shri		
3. पिता का नाम (हिन्दी में)	श्री			4. पिता का नाम (अंग्रेजी में)	Shri		
5. पति का नाम (हिन्दी में)	श्री			6. पति का नाम (अंग्रेजी में)	Shri		
7. वर्ग	सा0	अ0ज0जा0		8. मोबाईल नं०	9	1	
	अ0जा0	अ0पि0व0					
9. बैंक खाते का विवरण (बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें)	(a) बैंक का नाम			(b) बैंक शाखा			
	(c) IFSC कोड			(d) बैंक खाता संख्या			
10. मुखिया का आधार कार्ड नं०				11. लिंग (म0/प0/अन्य)	12. पेशा/व्यवसाय		

भाग-ख

1. जन्म तिथि		/					वर्तमान आयु			वर्ष
2. वर्तमान निवास विवरण	(a) मकान संख्या				(b) बिल्डिंग/अपार्टमेंट/सड़क					
	(c) सेक्टर/खण्ड/मोहल्ला				(d) लेण्डमार्क					
	(e) वार्ड संख्या				(f) नगरीय क्षेत्र का नाम					
	(g) जिला का नाम				(h) पिन कोड					
3. स्थायी निवास विवरण	(a) मकान संख्या				(b) बिल्डिंग/अपार्टमेंट/सड़क/ग्राम का नाम					
	(c) सेक्टर/खण्ड/मोहल्ला/ग्राम पंचायत				(d) लेण्डमार्क/विकास खण्ड					
	(e) तहसील				(f) जिला का नाम					
	(g) नगर क्षेत्र का नाम				(h) पिन कोड					
4. वर्तमान उचित दर विक्रेता का नाम				5. परिवार की कुल वार्षिक आय (शब्दों में)						
6. गैस कनेक्शन की स्थिति	हाँ		नहीं	7. गैस कनेक्शन का प्रकार			सिलेण्डर	पाइपलाइन		
8. गैस कनेक्शन की संख्या				9. गैस एजेन्सी का नाम						
10. गैस कम्पनी का नाम				12. परिवार के पास विद्युत कनेक्शन			है	नहीं है		
13. विद्युत कनेक्शन संख्या				14. ई-मेल आईडी						

13. परिवार का विवरण

क्र. सं.	सदस्य का नाम (हिन्दी में)	पिता/पति का नाम (हिन्दी में)	लिंग	मुखिया से सम्बन्ध	जन्म तिथि (dd/mm/yyyy)	आधार संख्या	सदस्य की कुल वार्षिक आय
1					___/___/___		
2					___/___/___		
3					___/___/___		
4					___/___/___		
5					___/___/___		
6					___/___/___		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

